न्यायालय, सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा

जिला चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियाँआर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 110/2021 वाद
GCMS No. – 2021/305

अंजु पुत्री मुन्नालालजी जाट निवासी मांगरोल तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० मो0नं0

–वादीया

बनाम

1. शीला पुत्री मुन्नालालजी जाट निवासी मांगरोल तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. पुष्पा बाई पत्नि मुन्नालालजी जाट निवासी मांगरोल तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

– प्रतिवादींगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

: : निर्णय :: दिनांक :– 29.12.2023

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता वादिया
2– श्री घनश्याम असावा – अधिवक्ता प्रतिवादी नम्बर 01 व 02

वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 88
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीयाने एक दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक कृषि आराजीयात वाके ग्राम मांगरोल पटवार हल्का मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० के खाता नं0 [illegible] की आराजी नं0 1567 रकबा 0.4400 हे0 स्थित हैं। साक्ष्य में नकल जमाबंदी पेश [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:46:37 IST
Reason: SelfAttested

2. वादग्रस्त आराजीयात वादीया एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात हैं जो वादीया के दादा घमंडीरामजी के जमाने से चली आ रही हैं, घमंडीरामजी के चार पुत्र भेरुलाल, राजमुल, सुरेश व मुन्नालाल हुवे, मुन्नालालजी का देहान्त घमंडीरामजी से पुर्व हो गया हैं, मुन्नालालजी के वैध उत्तराधिकारी वादीया अंजु, प्रतिवादी नं० 1 शीला उनकी पुत्रीयां व प्रतिवादी नं० 2

पुष्पाबाई उनकी बेवा हुवे। इस प्रकार वादग्रस्त आराजीयात में वादीया का 1/21 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं० 1 व 2 का प्रत्येक का 1/21–1/21 हक हिस्सा निहित चला आ रहा है, घमंडीरामजी के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजीयात में राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से विरासत से दर्ज करते समय वादीया का नाम अंजु के बजाए मंजु सहवन से दर्ज हो गया है जबकि वादीया का सभी पहचान के आवश्यक दस्तावेजात में वादीया का नाम शुरु से अंजु दर्ज चला आ रहा ह, दिगर खाता संख्या 465 व 991 मौजा मांगरोल की आराजीयता मे भी वादीया का नाम अंजु पुत्री मुन्नालाल ही दर्ज चला आ रहा है, वादीया ने प्रतिवादीगणो को वादग्रस्त आराजीयात में वादीया का नाम मंजु के बजाए अंजु घौषित करा कर इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण टाल चाल कर रहे है और वादीया का नाम मंजु के बजाए अंजु घौषित कराने से इंकार हो गये है इसलिए वादीया वादग्रस्त आराजीयात में वादीया का नाम मंजु के बजाए अंजु घौषित करा कर इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने की अधिकारी हैं।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 मय अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया तथा राजीनामा अनुसार वादीयाका वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वादीयाएवं प्रतिवादी ने प्रस्तुत राजीनामा में अंकित किया की वादीयाएवं प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक कृषि आराजियात वाके ग्राम मांगरोल पटवार हल्का मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० के खाता नं0 990 की आराजी नं0 1567 रकबा 0.4400 हे0 भूमि में वादीयाका 1/21 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का प्रत्येक का 1/21–1/21 हक हिस्सा निहित है,उक्त वादग्रस्त अराजियात में वादीया का नाम राजस्व रेकार्ड में मंजु के बजाए अंजु घौषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दोंनों पक्षों को पढ कर सुनाया गया जिसे सही होना स्वीकार किया है। प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया।

4. वादीया ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेज के रूप में ग्राम मांगरोल पटवार हल्का मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 990 जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति, आधार कार्ड की फोटोप्रति, मतदाता पहचान पत्र की फोटोप्रति, राशन कार्ड की स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटोप्रति प्रतियां पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puhadia
Date: 2024.01.06 18:46:37 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया । प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम मांगरोल पटवार हल्का मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० के खाता नं0 990 की आराजी नं0 1567 रकबा 0.4400 हे0 भूमि वादीया की पुश्तैनी पेतृक आराजियात है जो वादीया के दादा घमंडीरामजी के जमाने से चली आ रही है, घमंडीरामजी एवं वादीया के पिता मुन्नालालजी के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजियात में राजस्व कर्मचारीयो की गलती की वजह

से विरासत से दर्ज करते समय वादीया का नाम अंजु के बजाए मंजु सहवन से दर्ज हो गया जबकि वादीयाके सभी पहचान के आवश्यक दस्तावेजात में वादीया का नाम अंजु पुत्री मुन्नालाल ही दर्ज चला आ रहा है, ग्राम मांगरोल पटवार हल्का मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० जमावन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 465,खाता संख्या 991 में भी वादीया का नाम अंजु पुत्री मुन्नालाल ही दर्ज है सिर्फ एक खाता संख्या 990 की आराजी नम्बर 1567 रकबा 0.4400 हैक्टेयर भूमि वादीया का नाम मंजु दर्ज है। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 मय अधिवक्ता ने राजीनामा अनुसार वादीया का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः वादीया का नाम मंजु के बजाए अंजु किया जाना दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादीया का वाद डिक्री योग्य हैं।

<u>घोषणा है कि</u>

6. वादीया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में कतई डिक्री किया जाता है। ग्राम मांगरोल पटवार हल्का मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० के खाता नं0 990 की आराजी नं0 1567 रकबा 0.4400 हे0 भूमि वादीया में वादीया का नाम मंजु पुत्री मुन्नालाल के बजाए अंजु पुत्री मुन्नालाल जाट घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। तहसीलदार निम्बाहेड़ा उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। बैंक रहन होने पर यथावत रखा जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 29.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

29/12/23

(रमेश सीरवी पुनाडियॉ)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:46:37 IST
Reason: SelfAttested